राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2349/2024 रामवतार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	18.07.2024	22.07.2024	श्री बी.बी. एल. शर्मा, अभिभाषक
2.	2350/2024 बनवारी लाल शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जिला दौसा। 5. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	18.07.2024	22.07.2024	श्री बी.बी. एल. शर्मा, अभिभाषक

आदेश की दिनांक :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2349/2024 रामवतार शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 1.7.2022 से 30.6.2023 तक की अवधि हेतु एक ग्रेड वेतन वृद्धि दिया जाए और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के दिनांक 30 जून 2023 को सेवानिवृत्ति होने पर दिनांक 1.7.2023 को देय एक ग्रेड वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं देने के लिए प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी है। अपीलार्थी द्वारा न्याय की मांग के लिए दिनांक 03.7.2024 (अनुलग्नक–1) को दिए गए नोटिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने विचार नहीं किया है। अपीलार्थी दिनांक 30.6.2023 (अनुलग्नक–2) को व्याख्याता (हिंदी) के पद से

मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय दौसा से सेवानिवृत्त हो गये थे। अपीलकर्ता को 30.6.2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया लेकिन दिनांक 1.7.2022 से 30.6.2023 तक एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद भी अपीलकर्ता को एक ग्रेड वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार उसे वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया था। (अनुलग्नक–3) इसी तरह का प्रश्न विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आया था, जिस पर दिनांक 21.7.2023 को फैसला सुनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों ने 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे वर्ष अच्छे आचरण के साथ काम किया। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए और उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी, इसलिए संबंधित कर्मचारी 30 जून को वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं।

अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 1.7.2022 से 30.6.2023 तक एक ग्रेड वेतन वृद्धि दिया जाए और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2349/2024 रामवतार शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)